राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का बत्तीसवां दिवस [संख्या : 13

शुक्रवार,

18 मार्च, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल मीणा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सवाई माधोपुर में सी.आई. को जलाया गया है,... (व्यवधान) एक नौजवान को जलाया गया है... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कल बयान दिया, ये मंत्रियों का सहारा लेकर उसको भड़काना चाहती हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल मीणा।

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माफी मंगवाई जाये। (व्यवधान) केवल माफी मंगवाई जाये। अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल से इनका खुद का पता नहीं है कि ये कहां पर थे। जिस तरह से कल इस सदन के अन्दर... (व्यवधान) पूरा यह सदन जानता है... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इनसे माफी मंगवाई जाये। इनसे माफी मंगवाई जाये। (व्यवधान) प्रतिपक्ष यह चाहता था... (व्यवधान)

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में निगम बस सेवा हेतु प्राप्त ज्ञापन/प्रस्ताव

226. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकार को निगम की नवीन बसें संचालित करने हेतु कौन-कौन से गांवों से प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में मांग के अनुसार निगम की बसें संचालित हो रही हैं? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में मांग के अनुरूप निगम की नवीन बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पहले इनसे माफी मंगवाई जाये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जिस तरह से इन्होंने यह पर्ची दी है, किसी मंत्री को दबाने की साजिश रची गई है... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पुलिस अधिकारी को जिस तरह से जलाया गया है... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): +++ (व्यवधान) इनका खुद का पता नहीं है, डेढ़ साल से इनका पता नहीं है, ये मेरे को कह रही हैं कि मिलते रहते हैं। डेढ़ साल के बाद में मुलाकात नहीं हुई थी और आपने मेरी पत्नी के बारे में बोला। (व्यवधान) डेढ़ साल पहले मेरी इनसे मुलाकात सदन में हुई थी। (व्यवधान) आपकी और मेरी मुलाकात तो चर्चा का विषय है, कोई चिंता वाली बात नहीं है पर जिस तरह की बात कही है... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पहले इनसे माफी मंगवाई जाये। पहले इनसे माफी मंगवाई जाये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपकी और मेरी मुलाकात की चर्चा है... (व्यवधान) लेकिन जिस +++ आए हो, जिस झूठ की बुनियाद पर मंत्रियों के बचाव में नेता प्रतिपक्ष आई हैं और वे कह रही हैं, (व्यवधान) माननीय सदस्यों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। (व्यवधान) मेरी पर्ची पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जो बयान दे रही हैं, मेरी पर्ची पर मंत्रियों पर आरोप लगा रही हैं... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): जिस तरह से पुलिस अधिकारियों को जलाकर मार दिया गया... (व्यवधान) जिस तरह से निर्मम हत्या की है (व्यवधान) कानून-व्यवस्था का कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...इनको शर्म आनी चाहिए। इस सदन के अन्दर इस तरह का नेतृत्व आएगा, अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूं, लोकतंत्र को ये किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): राजस्थान के अन्दर ...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इन्होंने नई प्रथा को शुरू किया है। इस अपमानजनक तरीके से इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है... (व्यवधान) डेढ़ साल से तो इनका ही पता नहीं है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) मैं कहां मिला इनसे? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इनसे माफी मंगवाई जाये। (व्यवधान) इनसे माफी मंगवाई जाये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): गृह मंत्रीजी इस्तीफा दें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बताओ तो सही इस सदन को, किस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं? आप मंत्रीमण्डल के सदस्यों को भड़काना चाहते हैं और मंत्रीमण्डल के लोगों के बचाव में यह करना चाहती हैं...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सत्ता पक्ष को कह रही हैं कि वापस जाओ। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये कुछ भी करना चाहती हैं, यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का आचरण नेता प्रतिपक्ष का रहा है, जिस तरह से अमर्यादित भाषा उन्होंने व्यक्त की है, अगर वह झूठ है तो माफी मांगें। (व्यवधान) मैं अपने बच्चों की कसम खा सकता हूं वरना इनके भी बच्चा है, ये कसम खा ले। ये मंदिर के ऊपर चढ़ जाये... (व्यवधान) भगवान में अगर आस्था रखती हैं तो ये मंदिर पर चढ़कर शपथ खा लें, अपने बच्चे की शपथ खा लें, नहीं तो मैं शपथ खाता हूं बच्चे की। जिस तरह से मंत्रियों को भड़काया जा रहा है... (व्यवधान) यह नेता प्रतिपक्ष का काम नहीं है। यह शर्मनाक काम है और ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व रहेगा... (व्यवधान) ये कह रहे हैं कि मुझे ये बरबाद कर देंगे। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इनसे माफी मंगवाई जाये। पहले इनसे माफी मंगवाई जाये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पिछले चुनावों में भी आकर गया था। (व्यवधान) मैं फिर चुनौती देता हूं, जितनी बार चाहो, आ जाना। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, अधिकारी को जिंदा जला दिया जाता है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है... (व्यवधान) पुलिस के गृह मंत्रीजी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान) शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं।... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लोकतंत्र को अपनी खुद की कठपुतली मत समझो। लोकतंत्र तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है। तुम्हारे हाथ में किसी की जीत-हार नहीं है। यह शर्मनाक काम, राजस्थान के इतिहास में काला अध्याय लिखा गया है। कोई इस तरह की बात करेंगे... (व्यवधान) तो यह माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इनका इतिहास रहा है, इन्होंने अपने मंत्रियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया है... (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माफी मंगवाओ, अध्यक्ष महोदय। माफी मंगवाओ अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सदस्यों की अपनी कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर इनकी सरकार के मंत्री रहते हुए इनके साथियों पर पथराव कराना पडा। (व्यवधान) कैलाश मेघवालजी का बयान सामने है, कटारिया साहब का बयान सामने है। (व्यवधान) पूरी भारतीय जनता पार्टी के +++, सलाहकारों के भरोसे अगर आप आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करती हैं, +++ बोले जायेंगे, इस राजनीति में इस पवित्र सदन की गरिमा को कलंकित किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, रोज राजस्थान की पुलिस पिट रही है, इनकी कानून-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है। एस.एच.ओ. को जिंदा जला दिया गया है और गृह मंत्रीजी किधर ध्यान दे रहे हैं...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह प्रवृति चलने वाली नहीं है। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): गृह मंत्रीजी, इस्तीफा दें। गृह मंत्रीजी को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आप राजस्थान की कानून-व्यवस्था को नहीं संभाल सकते।... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कसम खाओ, मंदिर पर चढ़ो... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय रघु शर्मा से माफी मांगें। (व्यवधान) माननीय रघु शर्मा से माफी मांगें, माननीय मुख्य मंत्री से माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, इनसे माफी मंगवाई जाये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये प्रतिपक्ष की नेता हैं, सम्माननीय प्रतिपक्ष की नेता हैं, अगर मुझे कुछ भी कहते तो... (व्यवधान) मुझे भी कुछ नहीं कहना था। अगर इस तरह से ...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, इस तरह की +++ नहीं चाहिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सरकार को 15 दिन में गिराने में लगी हुई हैं... (व्यवधान) सरकार को 15 दिन में चलते करने की धमकी दे रही हैं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ये +++ बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये लोकतंत्र में इस तरह की भाषा और इस तरह का षड्यंत्र राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इनसे माफी मंगवाई जाये। यह पहली बार हुआ है, अध्यक्ष महोदय।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। ये कहती हैं कि... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनसे माफी मंगवाई जाये। इनसे माफी मंगवाई जाये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये कहती हैं कि मैं मिलता रहता हूं, मैं कहां मिलता हूं? डेढ़ साल से तो आपका ही पता नहीं है कि आप कहां थीं। डेढ़ साल पहले मैं जब आपसे मिला था, पूरा सदन गवाह है, जिस भाषा में आपने बात की थी... (व्यवधान) और अब मंत्रियों का सहारा लिया जा रहा है... (व्यवधान) मंत्रियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एस.एच.ओ. को जिंदा जला दिया गया...

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल मीणा। श्री गोपाल मीणा। श्री गोपाल मीणा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...आज प्रतिपक्ष का नेता इतने नीचे स्तर पर गिर जायेगा, यह मुझे कल्पना नहीं थी, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह जिस तरह की साजिश की राजनीति है...

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): गृह मंत्रीजी, इस्तीफा दें। गृह मंत्रीजी, इस्तीफा दें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र है। यह मेरा खुला आरोप है इनके ऊपर कि इनको किसी न किसी प्रकार से सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी बोल सकती हैं। (व्यवधान) ये कुछ भी बोल सकती हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता के लिए अपना +++ तैयार हैं, ये +++ तैयार हैं, ये षड्यंत्र करने को तैयार हैं। कुछ भी बोलेंगे... (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इनसे माफी मंगवाई जाये। इनसे माफी मंगवाई जाये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अधिकारियों को जलाया जा रहा है, सरकार नाम की चीज नहीं है। (व्यवधान) राजस्थान में कानून नाम की चीज नहीं रही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल मीणा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): राजस्थान की सत्ता को अस्थिर करने का षड्यंत्र है। (व्यवधान) ये कर रही हैं और ये माननीय मंत्रियों का सहारा लेना चाहती हैं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इनसे माफी मंगवाई जाये। इनसे माफी मंगवाई जाये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...हमारे सदस्यों का सहारा ले रही हैं, भड़का रही हैं इनको।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे पहले जवाब दिलाया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल। श्रीमती अनिता भदेल।

पुष्कर मेले में अन्तरराष्ट्रीय हाट-बैलून फेस्टिवल हेतु आमंत्रित निविदाओं में फेरबदल

227. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पुष्कर मेला, 2010 के दौरान अन्तरराष्ट्रीय हाट-बैलून फेस्टिवल के लिए सरकार द्वारा कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गईं और निविदाएं आमंत्रित करते समय क्या-क्या शर्तें रखी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निविदाएं आमंत्रित करते समय जो शर्तें रखी गई थीं, उन शर्तों में निविदाएं प्राप्त होने/खोले जाने के पश्चात् कोई फेरबदल किया गया था? यदि हां, तो क्या व किस आधार पर?

(3) क्या यह भी सही है कि पुष्कर मेला-2010 में आयोजित हाट एयर बैलून शो नि:शुल्क था? यदि हां, तो कम्पनी को चार हाट एयर बैलून व्यवसायिक उपयोग हेतु लाने की अनुमति क्यों दी गई?

(4) पुष्कर मेले के दौरान प्रत्येक नि:शुल्क हाट एयर बैलून ने कितनी उड़ानें प्रतिदिन भरीं एवं कितने मेलार्थियों द्वारा इनका नि:शुल्क उपयोग किया गया?

(5) व्यवसायिक हाट एयर बैलून द्वारा प्रतिदिन कितनी उड़ानें भरी गईं व कितने मेलार्थियों द्वारा सशुल्क उड़ान भरी गईं और कम्पनी को व्यवसायिक हाट एयर बैलून की उड़ानों से कितनी आय हुई?

(6) पुष्कर मेला-2010 में नि:शुल्क उड़ान भरने वाले हाट एयर बैलून में उड़ान भरने वाले यात्रियों की प्राथमिकता किस प्रकार तय की गई? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: पहले माफी मांगें। पहले माफी, पहले माफी। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कभी जेलर की जेल में हत्या हो जाती है, तो कभी विधायक के पुत्र को मार दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): पहले माफी मांगें, पहले माफी मांगें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): कभी पुलिस थानों के सामने नरमुण्ड काट के फेंक दिये जाते हैं, तो कभी दो साल की बच्ची के साथ कुकर्म कर उसे निर्ममता से मार दिया जाता है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: पहले माफी, पहले माफी। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): गृह मंत्रीजी इस्तीफा दें। गृह मंत्रीजी इस्तीफा दें। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): कभी पुलिस थाने में महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कभी थानेदार को जिंदा जला दिया जाता है। कोई न्याय नहीं मिलने की वजह से नौ घंटे तक टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की चेतावनी देता है और जब उसे न्याय नहीं मिलता तो अपने ऊपर पैट्रोल छिड़क कर टंकी पर से कूद जाता है और आत्मदाह कर लेता है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: पहले माफी मांगें, पहले माफी मांगें। (व्यवधान) माफी मांगो, माफी मांगो।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसी घटनाओं को सुनने मात्र से ही दिल कांप उठता है। मानवता को रुला देने वाली ऐसी घटनाएं राजस्थान के लिए कलंक हैं। घटना की जिम्मेदारी लेना तो दूर, संबंधित महकमे के मंत्री इस पवित्र सदन में कानून और व्यवस्था की बात तक नहीं करने देते। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: माफी मांगो, माफी मांगो। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): हे राम, ये कैसा लोकतंत्र है? यह कैसी व्यवस्था है? बेफिक्र होकर सो रही सरकार को जागना होगा। सदन के मुखिया कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: माफी मांगो, माफी मांगो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ... कौनसी जनता की लाज रख रही हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): इस गलती की भी कीमत उन्हें लेनी होगी, जिम्मेदारी तय करनी होगी। जिम्मेदारी और किसी की हो या न हो, इस सरकार की और इस सरकार में संभाल रहे गृह विभाग के प्रमुख की है, उन्हें मुख्य मंत्री तुरन्त बर्खास्त करें। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: माफी मांगो, माफी मांगो। (व्यवधान) पहले माफी मांगो। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अगर इस बार भी जांच कमेटियां बनाकर, निर्देश देकर और समीक्षा करके इस गम्भीर मसले को टालने की कोशिश की गई तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.08 बजे 12.08 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 12.08 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का गृह मंत्री इस्तीफा दे। इस तरह की घटना सवाई माधोपुर में हुई है, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, पहले ये यह बतायें... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजस्थान की सरकार ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): शर्म करो, शर्म करो। (व्यवधान) शर्म करो, शर्म करो। शर्म करो। (व्यवधान) शर्म करो, शर्म करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था । (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नाटकबाजी बंद करो। (व्यवधान) नाटकबाजी बंद करो। नाटकबाजी बंद करो। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): ...इनको बर्खास्त किया जाय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बंद करो। नाटकबाजी बंद करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: (1) डा. दिगम्बर सिंह, सदस्य की ओर से दारिया मुठभेड़ कांड में सी बी आई द्वारा गिरफ्तार इंस्पेक्टर पर राजनेताओं एवं पुलिस के आला अधिकारियों के नाम लेने का दबाव बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अगवा और... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 17 मार्च, 2011 को व्यवस्था दी जा चुकी है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा में कामर्स संकाय छात्रों को परीक्षा से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): जिस तरह से कानून-व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, राजस्थान में कोई खैर-ख्वाह नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: (3) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर नगर निगम द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पेमाराम (धोद): राजस्थान की जनता का सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसी सूरत में, अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों को पर्ची के माध्यम से बोलने की अनुमति दी गई है, अतः इन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री ओम बिरला एवं एक अन्य, श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से जिला सवाई माधोपुर में मानटाउन थाना प्रभारी को जिंदा जला देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(5) डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से राजस्थान के सरकारी कालेजों के व्याख्याताओं को यू जी सी की सिफारिशों के अनुरूप अन्यत्र की गई सेवा का लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(6) डा. जसवंत सिंह यादव एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड के गांव गिगलाना में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं इस पर अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूं, यह मानटाउन वाली पर स्टेटमेंट देना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे को ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25.2.2001 को राधेश्याम पुत्र बृजमोहन जाति माली निवासी सूरवाल ... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में खड़े होकर हंगामा)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान)... +++ ...(व्यवधान) +++ ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) पहने हुए पैरों के कड़े ...(व्यवधान) थाना सूरवाल में मुकदमा नम्बर 75/11, धारा 460, 302, 394 आई पी सी में कायम की जाकर तफ्तीश प्रारम्भ की गई ...(व्यवधान)

नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री महेन्द्र सिंह वृत्ताधिकारी को जांच सौंपी गई एवं श्री फूल मोहम्मद, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी ...(व्यवधान)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : 1. श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से जिला सीकर में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में।

2. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की उप तहसील उच्चैन को तहसील बनाने के संबंध में।

3. डा. परम नवदीप सिंह, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ में भू-माफियों की अवैध गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली एवं राजनगर में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने के संबंध में।

5. श्री जयदीप, सदस्य की ओर से प्रदेश में चने की फसल को लटों से बचाने के लिए काश्तकारों को कीटनाशक दवाइयों पर सब्सिड़ी दिये जाने के संबंध में।

6. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से नवज्योति मनोविकास केन्द्र को डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेग्युलेशन एक्ट 1970 की धारा 34 के अन्तर्गत नि:शुल्क भूमि आबंटित करने के संबंध में।

7. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही में सुअरों के बढ़ते आतंक से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री सूरजभान धानका, सदस्य की ओर से भारत के संशोधित राजपत्र के अनुसार धानका जाति के पूर्व के अनुसार अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में।

9. श्री फतेह सिंह, सदस्य की ओर से कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम बडवास बड़ी में अनुसूचित जाति के छात्रावास निर्माण नहीं कराने के संबंध में।

10. श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ में नियम विरुद्ध जारी लाइम स्टोन के खनन पट्टे निरस्त करने के संबंध में।

11. श्री शंकर लाल अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर के कडाना बांध डूब क्षेत्र की जमीन पर 30 वर्ष से काबिज लोगों को पुनः जमीन अलाट करने के संबंध में।

12. श्री लाल शंकर घाटिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा की ग्रीष्म पंचायत बरोटी व बिछीवाड़ा के नयागांव क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 के दोनों तरफ बसे अनुसूचित जाति के निर्मित मकानों का नियमन किये जाने के संबंध में।

295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। (व्यवधान)

(नियम 295 के तहत तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...मानटाउन के नेतृत्व में 15 व्यक्तियों के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.11 बजे 13.11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.11 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर की घटना पर आपने स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मुझे बोलने की अनुमति दी है ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जो कल घटना घटी है उसके बाबत् ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 18 मार्च, 2011 को शून्य काल में बोलने हेतु 16 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से श्लाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई जो निम्नांकित हैं ...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये गृह मंत्रीजी बयान दे रहे हैं, बयान को सुनिये ध्यान से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री ओम बिरला, श्री छोटू सिंह भाटी एवं श्री वासुदेव देवनानी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...दिनांक 14.3.11 तक मुलजिमान का पता नहीं लगने के कारण श्री राजेश मीणा पुत्र धनसिंह निवासी बाड़ोलास ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): गृह मंत्रीजी बयान दे रहे हैं, बयान को ध्यान से सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में अराजकता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) के नेतृत्व में लगभग सौ से डेढ़ सौ व्यक्तियों ने सहायक जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को एक ज्ञापन पेश किया ...(व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारेबाजी)

कि तीन दिवस में हत्यारों को तलाशा जाकर उनकी गिरफ्तारी की जाए अन्यथा आम जनता आंदोलन पर उतारू होने पर मजबूर हो जाएगी। दिनांक 15.3.11 को इन्हीं लोगों ने कस्बा सूरवाल के बाजार को बंद रखा जिसका आंशिक असर रहा। इन घटनाओं को देखते हुए दिनांक 15.3.11 को कस्बा सूरवाल में सभी वर्गों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक हुई जिसमें होली तक मुलजिमान को गिरफ्तार करने की समय सीमा पुलिस को देने की पेशकश पर सहमति जताई गई। परन्तु श्री राजेश मीणा व इसके साथी श्री

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

बनवारी लाल मीणा पुत्र श्री जगन लाल मीणा, निवासी बड़ौद, थाना खण्डार ने उत्तेजित भाषण देना प्रारम्भ कर दिया और तीन दिवस में कार्यवाही नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी । (व्यवधान) इस बाबत् ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री पवन दुग्गल। श्री बाबूलाल खराड़ी। श्री हरिसिंह रावत। श्री जगसीराम। श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) दिनांक 17.3.11 को ए सी एम, सवाई माधोपुर के न्यायालय में राजेश मीणा व बनवारी लाल मीणा के विरुद्ध 108 सी आर पी सी में इस्तगासा पेश किया गया जिसकी आगामी तारीख पेशी 22.3.11 निर्धारित है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2010-11 पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) दिनांक 17.3.11 को प्रातः 9.00 बजे राजेश मीणा व बनवारी लाल मीणा दोनों सूरवाल गांव में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गये। इसकी सूचना मिलते ही थानाधिकारी फूल मोहम्मद पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंच गये और...(व्यवधान) मैं टेबल करता हूं। (व्यवधान)

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2010-11) का पारण

श्री अध्यक्ष: मुखबन्द का प्रयोग।

मांग संख्या 1- राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,09,39,000/- (छह करोड़ नौ लाख उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 2-मंत्री परिषद्

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2– मंत्री परिषद् के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,65,47,000/- (एक करोड़ पैंसठ लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3-सचिवालय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3– सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4-जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4–जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,91,55,000/- (आठ करोड़ इक्यानवे लाख पचपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवायें

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,16,69,000/- (दस करोड़ सोलह लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,19,42,07,000/- (एक अरब उन्नीस करोड़ बयालीस लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7-निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7–निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,45,01,000/- (ग्यारह करोड़ पैंतालीस लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8-वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8–वन के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,73,67,000/- (सड़सठ करोड़ तिहत्तर लाख सड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवायें

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10–विविध सामान्य सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,13,21,000/- (सात करोड़ तेरह लाख इक्कीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवायें

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11–विविध सामाजिक सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,69,04,000/- (तेरह करोड़ उनहत्तर लाख चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12-अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12–अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 55,33,50,000/- (पचपन करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13-आबकारी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13–आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,83,61,000/- (दो करोड़ तिरासी लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर व्यवधान)

मांग संख्या 14-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14-बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,02,39,93,000/- (एक अरब दो करोड़ उनतालीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,52,00,00,000/- (तीन अरब बावन करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16-पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,33,78,000/- (बत्तीस करोड़ तैंतीस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17-कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,18,45,000/- (दस करोड़ अठारह लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,74,30,000/- (ग्यारह करोड़ चौहत्तर लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 68,08,29,000/-(अड़सठ करोड़ आठ लाख उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,08,07,22,000/- (दो अरब आठ करोड़ सात लाख बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,07,000/- (छह लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,66,30,000/- (सात करोड़ छियासठ लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,78,73,12,000/- (एक अरब अठहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,14,24,000/- (एक करोड़ चौदह लाख चौबीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,98,76,000/- (सत्रह करोड़ अठानवे लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,41,23,42,000/- (एक अरब इकतालीस करोड़ तेइस लाख बयालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 68,94,99,000/- (अड़सठ करोड़ चौरानवे लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,43,21,27,000/- (तीन अरब तियालीस करोड़ इक्कीस लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,28,27,000/- (चौंसठ करोड़ अट्ठाइस लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,02,02,01,000/- (तीन अरब दो करोड़ दो लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,64,63,68,000/- (एक अरब चौंसठ करोड़ तिरेसठ लाख अड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,68,76,80,000/- (चार अरब अड़सठ करोड़ छिहत्तर लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,000/- (उनसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री अध्यक्ष)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 88,43,28,000/- (अठ्यासी करोड़ तियालीस लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

मांग संख्या 37-कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,77,89,31,000/- (पांच अरब सतेत्तर करोड़ नवासी लाख इकतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,53,29,000/- (दो करोड़ तिरेपन लाख उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,11,50,000/- (चार करोड़ ग्यारह लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय

(श्री अध्यक्ष)

उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,19,99,000/- (पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,89,35,13,000/- (छह अरब नवासी करोड़ पैंतीस लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42-उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,65,99,000/- (छब्बीस करोड़ पैंसठ लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

मांग संख्या 43-खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,91,91,000/- (चार करोड़ इक्यानवे लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,77,000/- (अट्ठाइस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46-सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,06,73,000/- (उनसठ करोड़ छह लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,76,00,000/- (बारह करोड़ छिहत्तर लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,86,10,78,000/- (तीन अरब छियासी करोड़ दस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,88,21,000/- (आठ करोड़ अठ्यासी लाख इक्कीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,20,95,54,000/- (एक अरब बीस करोड़ पचानवे लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आप सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं, आज सरकार इतनी +++ हो गई है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपसे बड़ा +++ कोई नहीं है इस सदन के अन्दर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पूरा राजस्थान जल रहा है, राजस्थान में अराजकता है, और ये मंत्रीगण लूट-खसोट में लगे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 का पुर:स्थापन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और पूरी भ्रष्टाचार में डूबी सरकार। इस सरकार से जनता का विश्वास उठ गया है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप +++ सिरमौर हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम मांग करते हैं, वह आत्महत्या करने के लिये क्यों मजबूर हुआ? और किन हालात के अन्दर उस इंस्पेक्टर को जिन्दा जला दिया गया? (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान।)

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में विचार व्यक्त करने का हमारा अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा सवाई माधोपुर बंद है, हजारों लोग सड़कों पर हैं। सवाल पूछने हैं सरकार से ... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उस नौजवान इंस्पेक्टर का क्या कसूर था फूल मोहम्मद का जिसको जिंदा जला दिया गया है। और सत्ता में बैठे ... (व्यवधान) सवाई माधोपुर में ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप जैसे +++ लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ...(व्यवधान) प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री भरत सिंह। विचारार्थ हेतु। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में जो कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं, एक हमारा अधिकारी जिंदा जला दिया जाए ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वह आपसे कम उड़ी हैं, आपने तो कितने लोगों को ...(व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और उसके बाद भी यह निकम्मी सरकार उस पर किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करे, इतनी बड़ी बात हो नहीं सकती। (व्यवधान) उसका हाउस में डिस्कशन नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।) (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता। श्री मोहनलाल गुप्ता। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।) (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।) (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा। श्री नन्दलाल मीणा। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।) (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला। श्री बंशीधर खण्डेला। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।) (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

डा. दिगम्बर सिंह। डा. दिगम्बर सिंह। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।) (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) इतनी बड़ी बात पर भी हाउस में डिस्कशन नहीं हो। सारे के सारे राजस्थान में एक तरह से अराजकता का राज हो गया हो और गृह मंत्री अपनी नाकाबिलियत पर बचने के लिए इस तरह से ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: 72 गुर्जरों को मार दिया +++। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) अव्यवस्था फैला कर और सारे के सारे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। (व्यवधान) जिस अभिमान में ये हैं न, आज जिस पद पर +++, इस अभिमान के कारण से राजस्थान की साढ़े छह करोड़ जनता का +++ और जो कितने प्रकार का ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) आज न तो पुलिस सुरक्षित है, आये दिन पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस को जिंदा जलाया जा रहा है, पुलिस को पीटा जा रहा है। पुलिस जो है न आज जलाई जा रही है ... (व्यवधान)... और +++ आज राजस्थान का एक अच्छा अधिकारी आग के हवाले कर दिया गया है लेकिन उसके बाद भी +++ ...(व्यवधान)

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष: खण्डशः विचार।

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) किसी भी प्रकार से राजस्थान की जनता को, कानून व्यवस्था के बारे में अपनी तरफ से आश्वस्त

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं कर सकता। एक तरह से जनता मर रही है। आज वह राजेश है न ... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज पर मेरा संशोधन है। मेरा संशोधन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है पंचायती राज पर। मेरा अधिकार है मांगने का ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह आपके आफिसर, आपकी गलती के कारण से, जान गई। (व्यवधान) 25 अक्टूबर के दिन ...(व्यवधान) 25 अक्टूबर के दिन जिस महिला की हत्या की गई थी, उसके कारण से जो अपराधी नहीं पकड़ कर ...(व्यवधान) अपराधी नामजद थे, नामजद अपराधियों को नहीं पकड़ा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने संशोधन दिए हैं। (व्यवधान) विधायक हैं। हमारे बोलने का अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज पर हमारा ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसके कारण से जनता में आक्रोश था। जनता ने जाकर 15 तारीख को, फिर एक ...(व्यवधान) कलक्टर को और एस.पी. को ज्ञापन देकर अपने ...(व्यवधान) को बताया। यह अपराधी पता है पुलिस को लेकिन अपराधी को बचा रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और उसके कारण से पूर्व घोषणा के अनुसार राजेश उस टंकी पर चढ़ा और सवेरे नौ बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक वह उस पर टंकी पर रहने के बाद भी ...(व्यवधान) उसको न तो प्रशासन ने उतारने का प्रयास किया और न ही ...(व्यवधान) इसके कारण से ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

विधेयक का पारण

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): व्यवस्था का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस विधेयक को आप पारित करवा रहे हैं, इस पर बोलने का हमें अधिकार है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आय व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12; द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री भरत सिंहजी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपको चिंता नहीं है, कानून-व्यवस्था की चिंता नहीं है। आपको जवाब देना चाहिए। हमको जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं हो। (व्यवधान) जिसके कारण राजस्थान इस हालात में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आकर पहुंचा है। कानून व्यवस्था की ऐसी धज्जियां बनाकर, उड़ाकर आप ... (व्यवधान)

यह हमारा दुर्भाग्य है राजस्थान का। एक ऐसा सी.एम. जो अपने आपको गांधी कहलाता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुदान की मांग संख्या-28, 41 एवं 50 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,13,16,66,000/- (दो अरब तेरह करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या-28 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,00,14,87,000/- (चौबीस अरब चौदह लाख सतासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या-41 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,77,01,47,000/- (दो अरब सतहत्तर करोड़ एक लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या-50 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आज उस गांधी से पूछो कि आप ...(व्यवधान) क्या हो गया आपको? सांप सूंघ गया क्या? (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर की जनता सड़क पर उतर आई है। लोग आक्रोशित हैं सत्तारूढ़ मंत्री से। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो हालत है, ऐसी हालत में राजस्थान का मुख्य मंत्री सदन में आकर नहीं बैठा है। आज यहां तीन दिन से जिस प्रकार से सदन की धज्जियां उड़ रही हैं, यह राजस्थान के मुख्य मंत्री, सदन का नेता का यह दायित्व नहीं बनता है? (व्यवधान) क्या मजाक कर रहे हो? तमाशा बना रहे हो। (व्यवधान) राजस्थान का गृह मंत्री हंसते हुए मजाक करता है। इस राजस्थान की कानून-व्यवस्था की जिस प्रकार की हालत बनाकर रखी है, इसे एक क्षण भी यहां रहने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): (व्यवधान)... डिमांड पास करवा रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): +++ ...(व्यवधान) याद रखना, गुलाब चन्द कटारिया कह रहा है, ढाई साल बाद +++ इस विधान सभा का मुंह नहीं देख सकेगा। इसे याद रख लेना। +++ हमको कमजोर समझता है। जो जब तक हिफाजत नहीं कर सकता, जो जनता के लिए ईमानदारी से अपना वक्तव्य नहीं दे सकता, जो राजस्थान की पुलिस का मोराल नहीं उठा सकता, जो राजस्थान की पुलिस पर होने वाले ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पारित करने के लिए कहें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास एवं मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डिविजन। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिविजन। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डिविजन; डिविजन।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): डिविजन।

मांग संख्या-28 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,13,16,66,000/- (दो अरब तेरह करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): We want division. We want division...(व्यवधान)

मांग संख्या-41 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,00,14,87,000/- (चौबीस अरब चौदह लाख सतासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): डिविजन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डिविजन। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के संबंध में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या कर रहे हो, माननीय अध्यक्ष महोदय? We want division. (व्यवधान)

मांग संख्या-50 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,77,01,47,000/- (दो अरब सतहत्तर करोड़ एक लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): We want division. माननीय अध्यक्ष महोदय, डिविजन का हमारा अधिकार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): We want division. (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): डिविजन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) We want division... (व्यवधान)... हमारा वैधानिक अधिकार है डिविजन मांगने का (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2011 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.47 बजे मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सीकर जिले में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं काश्तकारों के हितों से जुडे मसले की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि गत 15 फरवरी एवं उसके पश्चात् भी सीकर जिले में जो भारी ओलावृष्टि हुई, इससे किसानों की फसल बुरी तरह से बरबाद हुई, खड़ी फसल नीचे गिर गई, किसान के पास कोई चारा नहीं बचा है आजीविका का। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जो मुआवजे की घोषणा की गई है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। इसके अतिरिक्ति मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि छोटे काश्तकारों को ही मुआवजा देने की घोषणा की गई है जबकि बडे काश्तकारों को भी उनकी फसल का बड़ा नुकसान हुआ है, मुआवजा देने में इस प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है। अधिक भूमि होने से बड़े किसान का अधिक फसल का खराबा हुआ है जबकि उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

अतएवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत इस विशेष उल्लेख के मेरे इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जिला सीकर में जिन काश्तकारों की फसलों का नुकसान हुआ है, उन समस्त छोटे-बड़े काश्तकारों को पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराने की घोषणा की जाये, बिजली के किसानों के बिल माफ किये जायें तथा ऋणों के चुकारा करने की अवधि एवं ब्याज में भी छूट प्रदान की जाये ताकि प्रकृति की मार से आहत किसानों के घावों पर मरहम लगाई जा सके।

बंशीधर खण्डेला

(खण्डेला)

नदबई (भरतपुर) की उप-तहसील उच्चैन का तहसील में क्रमोन्नयन

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की उप तहसील उच्चैन को तहसील बनाये जाने की ओर दिलाना चाहूंगी।

मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अन्तर्गत आने वाली उप तहसील उच्चैन करीबन 20 वर्षों से उप तहसील का दर्जा लिये हुए है। यह उप तहसील भरतपुर बयाना राज्य मार्ग के मध्य स्थित है। इसके आसपास के करीब 85 गांव जो अन्य तहसीलों में आते हैं, यह सभी गांव उच्चैन के निकट हैं। इन गांवों के निवासियों ने मुझे अवगत कराया है इनको अपने तहसील संबंधी कार्य के लिए लगभग 35 से 40 कि.मी. दूर जाना पडता है। जिसके कारण ग्रामवासियों को अपना समय, श्रम एवं धन बेवजह व्यय करना पडता है। इसलिए उपरोक्त गांवों के निवासी काफी समय से उप तहसील उच्चैन को तहसील का दर्जा दिलाने की मांग करते आ रहे हैं। इस संबंध में जिला कलक्टर भरतपुर ने अपने पत्र क्रमांक एल.आर./रिकार्ड/08/548 दिनांक 1.10.2008 के द्वारा निबंधक (भू.अ.) राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को उप तहसील उच्चैन को तहसील बनाये जाने की अभिशंसा की है।

अतः मेरा निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए उप तहसील उच्चैन को तहसील का दर्जा दिलाने की कृपा करें।

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
(नदबई)

हनुमानगढ़ जिले में भू-माफियाओं की अवैध गतिविधियां

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि-

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की जाने की नीति बनाई गई है। लिहाजा इन माफिया/भू-माफियाओं व संगठित अपराधियों पर अंकुश एक भारी चुनौती भी है, चूंकि यह अपराधीगण लगातार पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर प्रभावित कर अपने हित साधते रहतें हैं। इनके ताजा-तरीन उदाहरण विधायक श्री नाथूराम सिनोदिया के पुत्र की हत्या किया जाना और हनुमानगढ़ के भू-माफिया श्री गणेश बंसल और उसके गिरोह के द्वारा अरबों रुपयों की सार्वजनिक सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द किया जाना है और अभी भी इस भू-माफिया और इसके गिरोह के निशाने पर कई सार्वजिनक सम्पत्तियां हैं। इस भू-माफिया के खिलाफ हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न थानों में अदालत के निर्देशों से 21 मुकदमे संगीन धाराओं (420, 408, 409, 467, 471, 474, 120बी भा.द.स.) के अन्तर्गत दर्ज हैं और इसके अलावा 10 परिवाद आवश्यक दस्तावेजों के

साथ एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए एस.एच.ओ. हनुमानगढ़ जंक्शन को प्रस्तुत किये परन्तु इन 10 परिवादों में से एक में भी आज दिनांक तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी है, इन 10 परिवादों में 2 महीने पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान ने पुख्ता परिवाद मानते हुए अवश्य मुकदमे दर्ज किये हैं। इस भू-माफिया के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद और गुण्डा एक्ट के तहत भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है। इस दौरान हनुमानगढ़ में पदस्थापित वर्तमान पुलिस अधीक्षक और पूर्व में पदस्थापित रहे पुलिस अधीक्षकों की भूमिका भी संदेहास्पद ही है। नगर परिषद हनुमानगढ़ ने पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार से इस भू-माफिया गिरोह के अपराधों की जांच सी.बी.आई. से करवाने की मांग की और हनुमानगढ़ बार संघ ने भी इस भू-माफिया के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिये 4 माह की हड़ताल रखी।

इन सभी प्रकरणों की जांच निष्पक्ष, प्रभावी एवं शीघ्र करने हेतु राज्य सरकार की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित किया जावे जो समयबद्ध तीन या छह माह में कार्यवाही सुनिश्चित करे। जिनके प्रभारी अधिकारी उच्च स्तर के हों। इस दौरान इस भू-माफिया से मिले हुए सभी गुर्गों और दोषी पुलिस अधिकारियों व अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह

(संगरिया)

राजसमंद के कांकरोली व राजनगर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोला जाना

मेरे विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के कांकरोली एवं राजनगर में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में कला संकाय का ही सत्र चालू है। जिससे वहां अध्ययनरत बालिकाएं अपनी रुचि के अनुसार विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विषय में अध्ययन करने से वंचित रह जाती हैं। तथा इन्हें उक्त विषयों को पढ़ने हेतु अन्यत्र विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है। इससे कई छात्राओं की आर्थिक स्थिति खराब होने तथा अतिरिक्त आर्थिक भार के कारण वों अन्यत्र विद्यालयों में भी प्रवेश नही ले पाती हैं। जिससे क्षेत्र की बालिकाओं में काफी रोष व्याप्त है।

अतः बालिकाओं को उच्च शिक्षा एवं उनकी रुचि के अनुसार स्वावलम्बी बनने के लिए उक्त शहरों के विद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय विषय की स्वीकृति आगामी शैक्षणिक सत्र में ही जारी कर क्षेत्र की बालिकाओं को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

किरण माहेश्वरी
(राजसमंद)

काश्तकारों को कीटनाशकों पर सब्सिडी

उपरोक्त विषय के संबंध में, मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्रदेश में इस वर्ष चने की बम्पर पैदावार हुई है। किन्तु प्राकृतिक आपदाओं के कारण चने की फसल में लटें पड़ने लग गई हैं और फसल नष्ट होने का खतरा व्याप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि इसके बचाव हेतु कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं किया गया तो प्रदेश के काश्तकारों को काफी नुकसान होने की आंशका है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा में भी चने की बम्पर फसल हुई है और उसमें भी लटें पड़ने लगी हैं। अतः ऐसी स्थिति से बचाव हेतु यदि काश्तकारों को कीटनाशक दवाइयों के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी राशि उपलब्ध कराई जाती है तो यह व्यापक काश्तकारों और चने की फसलों के हित में होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि चने की हुई बम्पर फसल में पड़ी लटों से बचाने हेतु काश्तकारों को कीटनाशक दवाइयों में राज्य सरकार से सब्सिडी दिये जाने संबंधी आदेश प्रसारित करा प्रदेश के काश्तकारों को अनुग्रहीत करावें।

जयदीप डूडी
(भादरा)

नवज्योति मनोविकार केन्द्र को निःशुल्क भूमि आबंटन

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी रेग्युलेशन एक्ट 1970 की धारा 34 के अन्तर्गत जो संस्था नि:शुल्क सेवा भाव से कार्य करती है जिसमें विकलांग, मूक बधिर, वृद्धा आश्रम इत्यादि को उक्त एक्ट के तहत उन्हें जमीन मुफ्त में देने का कानूनी प्रावधान है, साथ ही लीज मनी भी माफ की

जाती है। परन्तु जोधपुर शहर में स्थित नवज्योति मनोविकार केन्द्र के भवन की भूमि पर आरम्भिक लीज मनी रुपये 12025 थी जिसे राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर वृत्त प्रथम द्वारा अपने पत्रांक 987 दिनांक 8.7.2009 के तहत इस राशि को बढाकर 24050 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। जब कि संस्था द्वारा पूर्व में उक्त राशि के लिए माननीय उच्च न्यायालय से स्टे आर्डर भी ले रखा है जो कि आज दिनांक तक प्रभावी है।

अतः राज्य सरकार से मांग करता हूं कि नवज्योति मनोविकार केन्द्र सेक्टर 10 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जो कि एक मंदबुद्धि बच्चों के लिए शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और उपचार के लिए राजस्थान की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश की एक मानी हुई संस्था है एवं उक्त संस्थान में वर्तमान में करीब 100 बच्चे अध्ययनरत हैं। उक्त संस्था बच्चों के चौमुखी विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील है जिसमें खेलकूद, व्यायाम आदि भी इस संस्था का हिस्सा है। इसी संस्था में अध्ययनरत एक छात्र प्रवीण शर्मा सम्पूर्ण भारत में 10 किलोमीटर साइकिल रेस में प्रथम आया है और अब वह अन्तरराष्ट्रीय स्पेशल ओलम्पिक में जून 2011 में एथेन्स जाने हेतु चयनित हुआ है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वह राजस्थान में ऐसी जितनी भी संस्थाऐं हैं जिसमें मूक बधिर, मनोविकार, विकलांग, वृद्धाआश्रम चलाती हैं उन्हें निःशुल्क भूमि प्रदान कर लीज से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाकर राहत प्रदान करावें।

कैलाश चन्द भंसाली

(जोधपुर)

सिरोही में किसानों की फसलों को सुअरों द्वारा कारित नुकसान

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता हूं :-

महोदय, विधान सभा क्षेत्र सिरोही में सुअरों के बढ़ते आतंक से किसानों को खेती करना भारी समस्या के साथ जानलेवा हो रहा है। 2 फरवरी को शिवगंज तहसील के अन्दोर से शिवगंज जावाल सड़क मार्ग पर स्थित सेल्लावा कुए पर मांगीलाल पुत्र भुबाजी कुम्हार के खेत में खड़ी गेहूं, रायड़ा व रिजका की फसल में देर रात काफी सुअरों के झुण्ड ने किसान दम्पत्ति पर हमला कर मांगीलाल के पैर व कमर में पंजे का वार कर चोटिल कर दिया तथा किसी तरह से दम्पत्ति ने अपनी जान बचाई।

महोदय, इससे पहले भी पूरे विधान सभा क्षेत्र में सुअरों द्वारा इस प्रकार की किसानों पर हमले तथा फसल नष्ट करने की कई घटनाऐं हो चुकी हैं। सुअरों के बढते आतंक से कृषकों में भय व्याप्त है तथा इसके कारण काश्तकार वर्ग रात्रिकाल में फसल की सिंचाई-गुडाई करने को लेकर भारी परेशानियों में हैं। मैं काश्तकारों की इस गम्भीर समस्या को आपके ध्यान लाते हुए किसान वर्ग को रियायती दर पर अनुदान देकर तारबंदी योजना कर समस्या के समाधान की मांग करता हूं।

ओटाराम देवासी

(सिरोही)

धानका जाति हेतु पूर्वानुसार अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाया जाना

प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख है कि राजस्थान की धानका जाति को भारत के संशोधित राजपत्र संख्या बी.सी./12016/34 दिनांक 05 सितम्बर, 1976 के द्वारा अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया जो राजस्थान में 27 जुलाई, 1977 से प्रभावी हुआ, तभी से धानका जाति के एस.टी. के प्रमाण-पत्र बनते आ रहे हैं, परन्तु 13 जुलाई, 2010 को भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय से एक असंवैधानिक व तथ्यहीन पत्र आया, जिसको आधार बनाकर पूरे राजस्थान में धानका जाति को एस.टी. के प्रमाण पत्र बनाना बन्द कर दिया गया है, जिससे राजस्थान भर के धानका जाति के लाखों लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, साथ ही ऐसी एकतरफा कार्यवाही से देश की संसद व महामहिम राष्ट्रपतिजी की आज्ञा का भी उल्लंघन हुआ है।

यहां यह भी विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस पत्र को आधार बनाया गया है, वह बिना संवैधानिक प्रक्रिया अपनाये ही जारी कर दिया गया, जबकि बिना किसी विधिक संशोधन किये ऐसे पत्र का कोई महत्व व संवैधानिक औचित्य नहीं है।

अतः अनुरोध करना चाहूंगा कि भारत के राजपत्र अनुसार धानका जाति के अनुसूचित जनजाति में शामिल होते हुए भी एस.टी. के प्रमाण-पत्र बनाये जाने पर लगाई गई अघोषित रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाकर राजस्थान प्रदेश के लाखों धानका जाति के लोगों को राहत प्रदान करावें।

सूरजभान धानका

(राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)

बड़वास बड़ी ग्राम (कुशलगढ़) में अनुसूचित जाति के छात्रावास का निर्माण नहीं कराया जाना

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि गत दो वर्ष पूर्व में कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम बड़वास बड़ी में अनुसूचित जाति के छात्रावास निर्माण हेतु बी.आर. जेब योजना द्वारा होस्टल छात्रावास की स्वीकृति जारी की गई है।

यह कि उक्त छात्रावास लम्बे समय से किराये के मकान में चल रहा है। उक्त राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा है। यह कि छात्रावास के लिये बडवास बडी के खातेदार नि:शुल्क जमीन देने के लिये तैयार है।

यह कि छात्रावास के लिये खातेदारों द्वारा तहसील कार्यालय में जमीन संबंधी सारी कार्यवाही कि गई उक्त जमीन सरेन्डर की फाइल जिला कलक्टर बांसवाड़ा भेजी गई परन्तु जिला कलक्टर उक्त जमीन को छात्रावास निर्माण के लिये देने के लिये तैयार नहीं है।

अतः आपके माध्यम से अनुरोध है कि खातेदारों द्वारा जो जमीन नि:शुल्क देना चाहते हैं वह जमीन छात्रावास निर्माण हेतु ली जाकर निर्माण का कार्य चालू कर अनुसूचित जाति के छात्रों को राहत प्रदान कराने की कार्यवाही करने का अनुरोध है।

फतेह सिंह
(कुशलगढ़)

चित्तौड़गढ़ जिले में नियम विरुद्ध जारी लाइम स्टोन के खनन पट्टों की निरस्ती

आपका ध्यान खनिज विभाग चित्तौड़गढ़ के द्वारा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित नीति दिनांक 22.04.1994 के विरुद्ध जाकर खनिज पट्टे स्वीकृत करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके तहत पांच हैक्टेयर भूमि से कम भूमि का खनन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। समय बीतने के साथ भूमि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य सरकार ने दिनांक 5 सितम्बर, 2008 न्यूनतम भूमि सीमा 5 हैक्टयेर से घटाकर 4 हैक्टेयर करने की स्वीकृति निदेशक खनिज को प्रदान की थी। लेकिन निदेशक खनिज विभाग के पत्र क्रमांक निदे./प2/कास/28/86/981 दिनांक 23 सितम्बर, 1997 के द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना के विरुद्ध 1 से 5 हैक्टयेर तक भूमि का खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकता है, का गलत अर्थ निकालने वाले आशय से अनर्थ ही हुआ है।

चित्तौड़गढ़ जिले में प्रचुर मात्रा में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने 48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन हेतु आरक्षित किया हुआ है। लेकिन खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि राजकीय नीति के विरुद्ध नियमों के विपरीत जाकर खनिज अभियंता चित्तौड़गढ़ ने बहुत सारे खनन पट्टे आबंटित किये हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 4 हैक्टेयर से कम है तथा वह भी सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन के लिए आरक्षित है। यह सब Lime Stone Burn करने के नाम आबंटित किया जबकि सारा पत्थर सीमेन्ट कारखानों को ही बेचा जा रहा है। रायल्टी भी उसी अनुरूप ली जा रही है, जबकि सरकार को कम रायल्टी जमा की जा रही है। एक पत्थर भी जलाया नहीं गया है। ऐसी स्थिति में कुल 18 खनन पट्टे जो चित्तौड़गढ़ कस्बे के समीप-जिनमें सूरजपोल में 13 लीज, आवलहेडा में 2 लीज तथा भीचोर, भोपालनगर व भैरूसिंह का खेड़ा में एक-एक लीज है, उक्त सभी खनन पट्टे निरस्त करने योग्य हैं।

राज्य सरकार से मांग है कि 4 हैक्टेयर से कम क्षेत्र के सभी खनन पट्टे नियम विरुद्ध होने की स्थिति में निरसत किये जाकर पूरे विषय की जांच करवा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करावें। विभाग ने भी इस प्रकार का एक फैसला न्यायालय उपसचिव खान विभाग (ग्रुप-2) में चित्तौड़ के खनिज अभियंता द्वारा बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स बनाम खनिज अभियंता चित्तौड़गढ़ के आदेश दिनांक 21.09.07 एवं 20.11.07 के तहत श्रीमती मंजु कंवर पत्नी कानसिंह राठौड़ को जारी कर हैक्टेयर क्षेत्र से स्वीकृति योग्य नहीं मानकर निरस्त किया गया है।

नरपत सिंह राजवी

(विद्याधर नगर)

कड़ाना बांध (डूंगरपुर) की डूब क्षेत्र की जमीन पर काबिज व्यक्तियों को पुनः आबंटन

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान, मेरी विधान सभा क्षेत्र चौरासी, डूंगरपुर में स्थित कड़ाना बांध डूब क्षेत्र में जो लोग विस्थापित हुए थे, उन लोगों को वन क्षेत्र की जमीन का आबंटन किया था। बाद में वन विभाग ने उक्त खाली करवायी भूमि को अलग-अलग छोटे-छोटे टुकड़ों में चक होने कारण लेने से मना कर दिया। हाल ही में प्रशासन गांवों के संग अभियान के

अन्तर्गत पंचायत कुआ जिला डूंगरपुर में आयोजित कैम्प, जिसमें राजस्व विभाग के अन्तर्गत जिन लोगों की कडाणा विस्थापित के समय जो किसान डूब में जा रहे थे, उनको तो अलाट कर दिये थे। उक्त खाली करवायी भूमि पर लगभग 30 वर्ष पूर्व लोगों ने कब्जे कर लिये एवं उन कब्जों की सरकार में समय-समय पर पैनल्टी भी जमा करवाते आ रहे हैं।

अत: मैं क्षेत्र की जनता के जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं मांग करता हूं कि इन कब्जेधारी लोगों को पुन: जमीन अलाट कर दी जावे।

शंकर लाल अहारी

(चौरासी)

बरोटी व बिछीवाड़ा ग्राम पंचायत (डूंगरपुर) में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास अनुसूचित जाति के निर्मित मकानों का नियमन

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान मेरी विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के पंचायत समिति बिछीवाड़ा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरोटी व ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा के नया गांव है, जो उनके खाते की जमीन रीको ने एक्वायर कर उद्योग लगाये है। वहां के काश्तकारों ने नयागांव व बरोठी में बिना नाम जमीन पर मकान बनाकर खेत कर रहे हैं और वहीं निवास भी करते हैं। उनके नाम आज दिनांक तक जमीन अलाट की गई और न ही रेग्यूराइज की गई और राज्य नेशलन हाइवे 8 के 1 किलोमीटर की दूरी सड़क के दोनों तरफ पर अलाटमेंट पर रोक लगायी है।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि जहां एस टी के लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, उस जमीन को इनके नाम जमीन अलाट करने या रेग्यूराइज करने की मांग करता हूं।

लालशंकर घाटिया

(डूंगरपुर)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

1. मेवात विकास बोर्ड द्वारा प्रस्तावों का जिला परिषदों में अनुमोदन पर विधायकों को नजरअंदाज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

2. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

3. पंचायत राज संस्थाओं का पुर्नगठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों में सुधार करने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (MLALAD) की राशि को नरेगा राशि डावटेल करने पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के समुचित ग्रामीण विकास हेतु नवीन ग्राम पंचायतों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

7. ग्रामीण विकास के पांच विभागों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

8. ग्रामीण क्षेत्रों के बी.पी.एल. परिवारों के लिये इन्दिरा आवासीय योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि को बी.एस.आर. के अनुसार बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

9. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के पंचायत समिति बुहाना में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) :

10. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में महानरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभार्थी के तहत खेतों में चारदीवारी का निर्माण एवं 70 फीट से ज्यादा कुऐं की खुदायी कराने की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 की आबादी की सभी सड़कें बनवाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

12. विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) में विधवा पेंशन चालू करने एवं जिनकी पेंशन रोक रखी है उन्हें वापस पेंशन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) में 2002 के बी.पी.एल. कार्ड धारकों को 2011 में इंदिरा आवास स्वीकृत करने की आवश्यका पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

14. बायतू मुख्यालय कस्बे में पानी की निकासी हेतु नालियों एवं खरंजा निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों के मिसिंग लिंग को नरेगा के तहत ग्रेवल सड़कों से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. बायतू मुख्यालय पर बस स्टेशन एवं जन सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र बायतू में नरेगा के तहत निजी आवास उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र बायतू में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से स्वीकृत कार्यों को समय पर नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

19. महानरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में सीसी टाइल्स को सभी जिलों में लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

20. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महानरेगा योजना में व्यक्तिगत आवास योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

21. ग्रामीण विकास के अन्तर्गत संचालित योजनाओं से, विभाग द्वारा कैम्प लगाकर ग्रामीणों को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

22. ग्रामीण विकास के अन्तर्गत गांवों में विधायक कोटे को सी.सी. रोड बनाने के कार्य में लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. ग्रामीण विकास के अन्तर्गत श्रीगंगागनर जिले में बी.ए.डी.पी. के अन्तर्गत सीमा बढाने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. बी.पी.एल. परिवारों के लिये अधिक संख्या में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत मकान बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. ग्रामीण विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को सुदृढ़ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

26. बाड़मेर जिले के उपखण्ड मुख्यावास रामसर को विकास खण्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

27. तारानगर में नरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत सामग्री पेटे राशि लम्बे समय तक बकाया रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

28. पंचायत राज को सशक्त करने के लिये 02 अक्टूबर, 2010 को पांच विभागों का पंचायतों को पूर्ण अधिकारों के साथ देने की राज्य सरकार की घोषणा का अभी तक पूर्ण रूप से पालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. पंचायत राज से संबंधित महालेखाकार द्वारा दो वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी लेकिन उस पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. सरकार द्वारा 29 विभागों का काम पंचायतों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर तक के विद्यालयों के लिये कोई विभाग उत्तरदायी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. प्रत्येक पंचायत समिति में विकास अधिकारी सीनियर आर.ए.एस. को नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

33. हर ग्राम पंचायत स्तर पर चलचित्र दिखाने के लिये मिनी थियेटर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

34. ग्राम पंचायत पीलू पंचायत समिति प्रतापगढ़ के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. राज्य सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्र की पंचायतों को छोटे वन उत्पादकों से होने वाली आय संबंधित पंचायतों को देने के प्रावधन की पालना नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति आनन्दपुरी की ग्राम पंचायत उदयपुर बड़ा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

37. मनरेगा में श्रमिकों की मजदूरी 100 रुपये से बढ़ाकर 119 रुपये प्रतिदिन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समितियां प्रतापगढ़ अरनोद एवं पीपलखूंट में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) :

39. अलवर जिले में ग्रेवल सडकों का निर्माण कार्य नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. अलवर जिले के गांवों में स्थित जोहड़ों की सुरक्षा दीवार नरेगा योजनान्तर्गत बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. अलवर जिले में गांवों के आम रास्ते की नालियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. अलवर जिले के गांवों में आम रास्ते में सीमेंट, ईंट खुर्रा निर्माण एवं सी.सी. रोड निर्माण व नाली निर्माण नरेगा योजनान्तर्गत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. अलवर जिले में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिये ग्रेवल सड़क नरेगा योजनान्तर्गत बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

44. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के गांवों में स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश) के अन्तर्गत अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के गांवों में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास हेतु अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के गांवों में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के माध्यम से ग्रामीण हाट लगाने के लिये अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

47. राज्य में ग्रामीण योजना के अन्तर्गत सर्वांगीण विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

48. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के गांवों में पेवर ब्लाक सड़कें तथा नालियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री करणसिंह (छाबड़ा) :

49. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में नरेगा के माध्यम से ग्रामीण सड़कों की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. छबड़ा थर्मल में स्थानीय आई.टी.आई. कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) :

51. बून्दी जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. केशवरायपाटन पंचायत समिति को भौगोलिक दृष्टि से ग्रामीणों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

53. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में सामुदायिक भवन गांवों के अलग-अलग वार्ड में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के खेतों की महानरेगा के मद में चारदीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. महानरेगा में पेयजल के कुओं पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गांवों में पेवर ब्लाक सड़कें, नालियां महानरेगा से बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

57. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा महानरेगा में इंटरव्यू लाकिग खरन्जा निर्माण की स्वीकृति जारी की जाने में विभागीय विफलता तथा लापरवाही पर चर्चा के लिये।

58. बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एनिकट निर्माण के लिये समुचित ध्यान देने में विभागीय लापरवाही पर चर्चा के लिये।

59. जलग्रहण विकास कार्यक्रम में निर्मित किये जाने वाले एनिकटों पर जल संसाधन विभाग के आदेश एफ. 3 (मिस) ए एस आई सेल/2010/1304-12 दिनांक 22/26 जुलाई, 2010 से उत्पन्न अवरोध की समाप्ति में सरकारी अनदेखी पर चर्चा के लिये।

60. पंचायत समिति बून्दी को कार्यालय सी.ए.डी. रेस्ट हाउस भवन, माटून्दा में स्थानान्तरित किये जाने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

61. जागा मोहल्ला बनेठा (उनियारा) के सामुदायिक भवन निर्माण में विभागीय अनदेखी एवं विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंह नगर) :

62. विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के दलित बाहुल्य गांवों हेतु विशेष राहत पैकेज की घोषणा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

63. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नरेगा में होने वाले कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में बी.पी.एल. सर्वे करवाकर उनके कार्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

65. जिला परिषदों में वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता (भू-संसाधन) के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. आई.डब्ल्यू.एम.सी. योजनान्तर्गत योजना संचालन हेतु पदों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

67. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में महानरेगा के अतिरिक्त विशेष योजना बनाकर ग्रामीण विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) :

68. एकीकरण योजना के अन्तर्गत पुनः चालू हुये राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा पंचायत समिति बागावास की राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालियों की ढाणी में संचालन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण ग्राम पंचायत मुख्यालय खेड़ली में ही बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

70. ग्रामीण विकास हेतु नगर परिषदों के बराबर अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. ग्रामीण विकास में मजदूरी एवं मेटेरियल के अनुपात को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

72. ग्राम चाड़वास के अस्पताल में एम.एल.ए. कोष से हुये कार्य में गबन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

73. सीकर जिले की ग्राम पंचायत मूण्डवाड़ा की शिकायत सहायक कलक्टर सीकर की जांच रिपोर्ट क्रमांक : 2681 दिनांक 16.9.2010 की एफ.आई.आर. दर्ज करवाने हेतु चर्चा के लिये।

74. सीकर जिले की मूण्डवाड़ा पंचायत में दोषी को बचाने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

75. महानरेगा अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त कर्मियों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में ग्राम पंचायत बाटड़ानाऊ, जाजोद में ग्राम पंचायत भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की हिस्सा राशि बढाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

78. विराटनगर में महिला बाल विकास के केन्द्र आबादी के अनुरूप न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में ग्रामीण युवाओं के लिये स्वरोजगार योजना की प्रगति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगार योजना न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में खनन उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में मूर्तिकला कुटीर उद्योग को ऊर्जा आपूर्ति एवं लघु उद्योग में रियायत करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

83. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गहलऊ (रूपवास) की पोखर रिटेरिंग वाल एवं गऊ घाट का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. झारौली (सेवर-भरतपुर) पोखर की सुरक्षा दीवार के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. नरेगा के तहत गाहौली से पपरेरा तक कच्ची सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. नरेगा के तहत ग्राम बीलोठ (नदबई) में पोखर सुरक्षा चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. नरेगा के तहत गांव लालपुर (नदबई) में पोखर सुरक्षा दीवार निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

88. नरेगा योजना में राज्य में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में कम व्यय की धनराशि एवं उक्त योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों के संबंध में चर्चा के लिये।

89. जयपुर जिले के ग्रामों में गत दो वर्षों में स्थानीय निकाय चुनावों में निषिद्ध किये गये व्यक्ति एवं असत्य तथ्यों के आधर पर भाग लेने वाले व्यक्तियों के प्रकरणों के संबंध में चर्चा के लिये।

90. शाहपुरा (जयपुर) में वर्ष 2009-10 वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में खर्च की गई राशि में हुये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

91. पंचायत समिति थानागाजी की पंचायत हरनेर के गांव धैंतल का बास के आम रास्ते पर अतिक्रमण की जनता एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायत करने के बाद भी ग्राम सेवक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम द्वारा जानबूझकर अतिक्रमण नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

92. ग्राम पंचायतों की बैठक व आम सभा की बैठक की कार्यवाही उसी दिन बंद करके दूसरे दिन पंचायत समिति में 3.00 पी.एम. तक नहीं दी जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. सवाईचक एवं गोचर भूमि को आबादी में रूपान्तरण का अधिकार पंचायतों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. पंचयतों को राशन कार्ड बनाने के अधिकार पुनः देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. पंचायत समिति की बैठक व साधारण सभा में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

96. ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये आबादी के पट्टे के आधार पर ही सभी सरकारी एवं गैर सरकारी भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. ग्रामीण विकास के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का सम्पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. ग्राम पंचायतों की बैठक की अवधि एक माह में तीन बार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. ग्रामीण विकास के सशक्तिकरण के लिये दिये गये 5 विभागों को सशक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. पंचायत को राशन कार्ड बनाने के लिये अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

101. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पारम्परिक पेयजल स्रोतों के जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्तर्गत नदी के पानी से गांव की आबादी को बचाव हेतु नदी किनारे तट बन्दी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्रामीण विकास के कार्य समय पर पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इंटर लोकिग खरंजा, सी.सी. रोड गली व मोहल्लों में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

105. ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू करने व आर्थिक पिछड़े ग्रामीणों के लिये आवश्यक सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

106. ग्रामीण विकास विभाग को केन्द्र से प्राप्त सहायता के संबंध में चर्चा के लिये।

107. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी समस्या बताने के लिये सप्ताह में अधिकारियों का गांवों का दौरा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाले विभागों में स्थानान्तरण/पदस्थापन पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

109. IADP, IWMD, IWDP आदि जल ग्रहण एवं भू संरक्षण के कार्यक्रमों में नादौती तहसील, जिला करौली को ग्राम पंचायत सोप, ग्राम पंचायत शहर, ग्राम पंचायत बरदाला, ग्राम पंचायत कैमा में स्वीकृत लाभर्थियों की पहचान करने तथा उनको देय राशि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर) :

110. अजमेर व पुष्कर क्षेत्र के पेराफेरी ग्रामीणों को पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

111. जहाजपुर क्षेत्र के रेडवास, बड़ला, बनकाखेड़ा एवं सवाईपुर पंचायतों को समन्वित जल ग्रहण विकास कार्य स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

112. उदयपुर जिले में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. उदयपुर जिले में विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

114. ग्राम पंचायतों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने एवं ग्राम पंचायतों में लम्बे समय से चल रहे विभिन्न कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. जैसलमेर जिले में जलग्रहण कमेटियों को ग्राम पंचायतवार बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) :

116. ग्रामीण विकास के लिये ग्राम पंचायत से पंचायत के गांवों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

117. ग्रामीण विकास के लिये क्षेत्रीय एवं स्थानीय हस्तकलाओं को योजनाओं में सम्मिलित कर प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. प्रदेश में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से वनाच्छादन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं में स्वयं सेवी संगठनों के नाम पर हो रही अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. ग्रामीण विकास योजनाओं में मरूस्थलीय क्षेत्र के प्रसार में देशी प्रजाति के वृक्षों को लगाने एवं विदेशी बबूल से मुक्ति के उपायों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जन आस्था के प्राचीन केन्द्रों के जीर्णोद्धार संरक्षण को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

122. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तर्ज पर भविष्य में आबादी विस्तार व अन्य आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये मास्टर प्लान बनाने की योजना पर चर्चा के लिये।

123. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों तक पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा पेयजल उपलब्धता के लिये गांवों के परम्परागत जल स्रोतों, कुएं-बावड़ी, तालाबों के जीर्णोद्धार करके स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विर्शेष कार्य योजना बनाकर गांवों में चिकित्सा, शिक्षा व रोजगार के अवसर शहरी क्षेत्रों के समान स्तर के उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. प्रदेश के गांवों में कीचड की समस्या के स्थायी समाधान हेतु गलियों में पेवर ब्लाक या अन्य माध्यम से पक्की करने और ड्रेनेज सिस्टम व नालियों का निर्माण कराने हेतु कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास हेतु खेल मैदानों व पशु संवर्धन हेतु चरागाहों के विकास हेतु दीर्घकालीन योजना व उपलब्ध भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

127. ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, आवास इत्यादि पर विशेष पैकेज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्राप्त राशि का सदुपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

129. ग्राम स्तर पर वर्षा जल पुनर्भरण योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. महिला स्वयं सहायता समूह को विकसित एवं बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

131. भू-संरक्षण के द्वारा कोटसोलंकियान में कराये गये एनिकट निर्माण की जांच कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

132. ग्राम पंचायत रानी कल्ला में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेडियम निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. पंचायत समिति देसूरी में ग्राम पंचायतों में बनाये गये शौचालय की गुणवत्ता एवं अनियमितताओं की जांच के संबंध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के प्रत्येक गांवों में सुलभ काम्पलेक्स एवं शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

135. बी.पी.एल. परिवार के नीचे अन्त्योदय परिवार को इंदिरा आवास योजना में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

136. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्रामीण विकास में पक्के कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

137. मनरेगा के अन्तर्गत तीन वर्षों से स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ नहीं करके नया 2011-12 का प्लान बनाकर कार्यों की संख्या बढ़ाने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां) :

138. मनरेगा में ईंट खरंजा निर्माण के स्थान पर Inter Locking System से निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. मनरेगा में पक्के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. ग्रामीण क्षेत्र में एक से अधिक सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

141. नरेगा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में बनी ग्रेवल सड़कों की मरम्मत को शामिल करके ग्रामीणों को रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

142. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नरेगा कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार व कार्य योजना में मनमानी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

143. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में नरेगा के माध्यम से शमशान घाट के जीर्णोद्धार व ग्रेवल सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

1. विधान सभा क्षेत्र नगर के ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के लिये और अधिक साधन मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

2. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सामुदायिक विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

3. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

4. रेगीस्तानी क्षेत्रों में दूर-दूर बसे हुये ग्रामों एवं पंचायतों का पुनर्गठन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) :

5. अलवर जिले के स्कूलों में दिया जाने वाला पोषाहार घटिया व कम मात्रा में एवं पोषाहार बनाने के लिये रसोई घर की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. अलवर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

7. विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

8. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में विशेष स्कीम लाकर सामुदायिक विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

9. राज्य में ग्राम पंचायत में आडिट एवं अन्य बकाया की वसूली नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. पंचायतराज में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद के सदस्य का मानदेय नगर परिषद के पार्षद एवं नगर निगम के पार्षदों के भत्ते के बराबर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. आंगनबाडी कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगनी एवं साथीन का मानदेय 5000 रुपये एवं 2500 रुपये करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों हेतु आवासों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. ग्राम पंचायत क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क संबंधित ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति दांतारामगढ़ एवं पिपराली समिति में तहसीलदारों द्वारा नहीं भेजने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

14. जनता जल योजना के सही संचालन के लिये ग्राम पंचायत रूपपुरा (उनियारा) सहित राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों को आबंटित निर्बधन राशि में बढ़ोतरी की जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

15. सामुदायिक सोच एवं विकास को बढावा देने के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगर योजना में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य को सम्मिलित किया जाने में सरकारी अनदेखी पर चर्चा के लिये।

16. आसल गांव तथा बेगमपुरा (टोंक) की श्मशान भूमि विकास तथा सुरक्षा दीवार निर्माण करवाये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

17. ग्रामों के मास्टर प्लान हेतु पर्याप्त राशि आबंटन के अभाव में ग्राम अरन्या (बीजवाड़) जिला टोंक सहित विभिन्न ग्रामों के विकास की विभागीय अनदेखी तथा विफलता पर चर्चा के लिये।

18. रायथल एवं कल्याणपुरा (रायथल) जिला बूंदी सहित विभिन्न शवदाह

स्थलों के विकास तथा आबंटित भूमि की सीमाबन्दी दीवार निर्माण में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

19. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ के ग्राम पंचायत मुख्यालय पाटोदा, नेधावा, गनेडी, सुतोद में सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

20. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के राजस्व गांवों में जिनकी आबादी 250 से अधिक है बालिका शिक्षा पर कम खर्च से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विशेष पिछड़ा वर्ग होने के बावजूद सामुदायिक योजना में स्वीकृति होने पर भी कार्य प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सामुदायिक विकास पर कम बजट आबंटन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्षमणगढ़) :

23. ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक विकास हेतु विशेष योजनायें चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

24. राज्य के विभिन्न गांवों के लिये सामुदायिक विकास कोष बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाला लाभ ए.पी.एल. परिवारों के लोगों को दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

26. ग्रामीण जन भागीदारी योजना में बजट प्रस्तावों में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों को मानदेय भत्ता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. जनता जल योजना संधारण हेतु देय मानदेय में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

29. उदयपुर जिले में विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. उदयपुर जिले में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

31. ग्राम पंचायतों को देय निरबंध राशि और बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

32. नरेगा कार्यों की गुणवत्ता व स्थायित्व हेतु कार्य योजना व सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी व योजना को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. नरेगा के कार्मिकों के सघन प्रशिक्षण व कार्यक्रम तथा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण सुनिश्चित व विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

34. विधायक कोष से अनुसूचित जाति/जनजाति लोगों के जाति विशेष सामुदायिक भवन पर लगाई रोक को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

36. विश्वकर्मा स्वावलम्बन योजना में रुपया जमा करने पर भी स्वावलम्बन योजना में लाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या-50 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-50 मुख्य शीर्षक ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

1. विधान सभा क्षेत्र नगर में ग्रामीण रोजगार न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

2. कोटा जिले में ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

3. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

4. नरेगा (महानरेगा) ग्रामीण रोजगार के कार्य में कार्मिक राइडर लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. पंचायत समिति द्वारा ग्रामीण रोजगार योजनाओं की केवल खानापूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

6. स्व. सरदार सिंह (एस ओ ।।। ग्रेड अध्यापक) जिला बीकानेर (पंचायतीराज) प्रा. शिक्षा के मृतक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

7. विधान सभा क्षेत्र बायतू में नरेगा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र बायतू में नरेगा के तहत प्रत्येक ग्राम की सरकारी जमीन के संरक्षण हेतु कच्ची दीवारों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. पंचायत समिति बालोतरा, बायतू एवं सिणधरी में नरेगा के तहत

बरसाती पानी के संरक्षण हेतु एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. नरेगा में वार्षिक प्लान के अनुसार कार्य स्वीकृत न करने एवं श्रमिकों को नियोजित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र बायतू में रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

12. ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत महिलाओं को भी कार्यों पर लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. श्रीगंगानगर जिले में महानरेगा के अन्तर्गत समान रूप से प्रत्येक परिवार को 100 दिवसीय रोजगार देने के संबंध में चर्चा के लिये।

14. मनरेगा के अन्तर्गत गंगानगर की पंचायतों में रुके कार्य को शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. पूरे प्रदेश में महनरेगा में हो रहे भारी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के संबंध मे चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

16. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत सभी ग्रामवासियों को रोजगार देकर व पक्के कार्य करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

17. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के नरेगा कार्यों में किये गये मजदूरी का सामाजिक अंकेक्षण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नरेगा कर्मियों को स्थायी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

19. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के युवकों को विशेष रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के गांव में कुटीर उद्योग लगाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) :

21. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में समय पर कार्य व भुगतान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

22. राज्य में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष दिनों की संख्या कम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. महानरेगा में मजदूरों से राज्य में टाइम एवं टास्क दोनों माप एक साथ लागू करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. ग्राम रोजगार सहायकों को स्थाई कर्मचारी घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

26. महानरेगा के तहत चल रहे कार्य की ठेका प्रवृत्ति बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. पाली जिले में चल रहे महानरेगा के तहत किये गये कार्यों में पिछले 5 वर्ष में हुये गबन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

28. विधान सभा क्षेत्र धोद में दो पंचायतों के सरपंचों को बचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

29. राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के विद्यालयों के समीप करवाये जा रहे निर्माण से छात्र हितों की अनदेखी के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

30. ग्रामीण विकास अवधारणा के विपरीत ग्राम सोप बाहुल्य बस्तियों में इन्टर लाकिंग खरन्जा निर्माण कार्य की जानीबुझी अनदेखी का निराकरण किये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

31. कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक के पत्रांक 10960 दिनांक 4 फरवरी, 2011 का औचित्य निर्धारण करने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

32. गुदलिया तथा कुण्डेर सहित पंचायत समिति उनियारा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में गत वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हुए कार्यों का समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वांछित निरीक्षण तथा कार्य सुधार नहीं करने से श्रमिकों को कम मजदूरी मिलने एवं कार्य गुणवत्ता कमजोर रहने की प्रभावी जांच की जाने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

33. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत डामर सड़क निर्माण की अनदेखी से तुम्धीपुरा तथा मोरझालों की झौपड़िया (उनियारा) के लिये पक्की सड़क निर्माण में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

34. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

36. खोरालाडखरनी से विराटनगर गणेश होकर जाने वाली सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. विराटनगर में ग्रामीण रोजगार हेतु ग्रामीण सड़कों का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में ग्रामीण रोजगार के लिये निर्माण कार्य न चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

39. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नरेगा योजना के अन्तर्गत ए.पी.एल. परिवारों को पेयजल हेतु निजी टांके आबादी व खातेदारी भूमि में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नरेगा योजना के अन्तर्गत निर्मित क्षतिग्रस्त ग्रेवल सड़क पुनः निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नरेगा योजना के अन्तर्गत किसानों के

खेतों में पानी के संरक्षण एवं भूमि के कटाव को रोकने हेतु मेड़बन्दी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नरेगा योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण कुए गहरे करवाना, खरंजा निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नरेगा योजना के अन्तर्गत सड़क किनारे वृक्ष लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

44. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

45. ग्रामीण रोजगार योजना के तहत केकडी क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

46. रोजगार योजना के अधीन काम में लगे मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के साथ-साथ गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. राज्य की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नगराज (धरियावद) :

50. पंचायत समिति धरियावद की ग्राम पंचायत अणत, आड एवं धरियावद में वर्ष 2006 से 2009 तक नरेगा व अन्य कार्यों में की गई भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

51. स्वविवेक जिला विकास योजना के तहत बजट राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम कोटड़ी में नेहरू नगर रेगर बस्ती से रोडवेज बस स्टैण्ड शमशान घाट तक ग्रेवल सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. जहाजपुर में नाहर सागर, उलेला, बरदपुरा तालाब, ऊंचा तालाब के डिसिल्टिंग भराव एवं नहरें निर्माण हेतु नरेगा में कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. महानरेगा के तहत महिला श्रमिकों को प्रोत्साहन योजना के लिए बजट प्रावधान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

55. उदयपुर जिले में विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. उदयपुर जिले में विभाग में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

58. रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पक्के कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

59. नरेगा में मशीनों के उपयोग से मानव श्रम की कमी रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. ग्रामीण रोजगार योजनाओं में राज्य जल नीति में उल्लेखित भू-जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की प्राथमिकता और बड़े अनुपात में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. प्रदेश में नरेगा अन्तर्गत वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिये प्रभावी कार्य योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के ग्रामीण परिवेश एवं ग्रामीण क्षेत्र के

सन्निकट क्षेत्रों को नरेगा परिधि में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. नरेगा में सभी ग्रामीण रोजगार योजनाओं में स्थाई प्रकृति के कार्यों का आनुपातिक प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

64. राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाले आवासों की संख्या को बढाये जाने व उक्त आवासों में सैनेटरी लेटरिन, धुंआ रहित चूल्हां, उपयुक्त ड्रेनेज के प्रबंधों की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये।

65. राज्य में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम व आजीविका मिशन के तहत किये जा रहे कार्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुये ग्रामीणों को वास्तविक लाभ पहुंचाने व योजना का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. राज्य में जलग्रहण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में बंजर भूमि के विकास, विभिन्न जलग्रहण योजनाएं स्थानीय आधार पर तैयार करने व गरीब उपेक्षित ग्रामीण वर्गों की आर्थिक स्थिति में वास्तविक सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. राज्य के डांग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तय किये गये उद्देश्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति व क्षेत्र में शिक्षा व स्वरोजगार के विकास कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. राज्य में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाकर जल भंडारण व जल दोहन में सामंजस्य बनाने की कार्य योजना बनाने व उसकी क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

69. लघु उद्योगों हेतु ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. हस्तनिर्मित छोटे रोजगार को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. ग्रामीण रोजगार को विकसित करने के लिये कृषि आधारित उत्पादों के प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. ग्रामीण रोजगार बनाम महानरेगा का दायरा बढ़ाकर किसानों के खेतों में मेड़बंधी जैसे कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. ग्रामीण रोजगार में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

74. ग्रामीण क्षेत्र के एस.सी., एस.टी. के बच्चों को नौकरियां में विशेष पैकेज दिलाने हेतु विभागीय पहल पर चर्चा के लिये।

75. नरेगा में ग्रामीणों को रोजगार के लिये कृषि के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

76. ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये रिटेल दुकानों के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

77. जमवारामगढ़ में रोजगार के साधन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

78. मनरेगा में श्रमिक जो पूर्णतः मजदूरी पर ही आश्रित है उनके श्रमिक दिवस 100 दिनों से अधिक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।